

84/2

भाग-5

इस वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

Proposal no: 16073/449-172

3. राज्य सरकार की सिफारिश

उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर शिष्ट टिप्पणी की जाय)

Recommended for approval

30/11/18
डा० राजीव कुमार गर्ग
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
से० प्र०, लखनऊ

शे.....
नि.....

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर